

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी अभिषेक गोयल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/62/2019 प्रार्थना पत्र

दायर दिनांक 11.06.2019

उनवान

1. प्रभु पिता नाथू जाति गाडरी निवासी भीमखण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. नारायण पिता खुमा जाति गाडरी निवासी भीमखण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. सुखा पिता भारू जाति गाडरी निवासी भीमखण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. उदयराम पिता सौराम जाति गाडरी निवासी भीमखण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. चुना पिता नाथू जाति गाडरी निवासी भीमखण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. छोगा पिता कजोंड जाति गाडरी निवासी भीमखण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक 20.06.2019

—:निर्णय:—

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने सत्यमेव जयते
हव इस बाबत प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात मौजा भीमखण्ड पटवार हल्का उमण्ड तहसील कपासन की खाता संख्या 79 में स्थित आराजी संख्या 518, 1244/511, 1245/512 कुल किता 3 स्थित है उक्त अराजीयात के चारो तरफ अप्रार्थीगण की अराजीयात स्थित है तथा हम पक्षकारान के बिच में सीमा के निशानात नही है जिससे आय-दिन सीमा बाबत विवाद रहता है अप्रार्थीगण को कई बार कहा कि सीमा कें पुख्ता निशानात कराले लेकिन हर बार टालमबाजी करते है इस लिए आराजीयात जैर-बहस के चारो तरफ चारो दिशाओं कि पत्थरगढी कराना आवश्यक है। अतः पत्थरगढी कराने का आदेश फरमावें।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के हाजिर नही आने से उनके विरुद्ध एक-तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई प्रार्थना पत्र पर बहस एक तरफा सुनी गई प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार कपासन

को संबंधित प्रकरण में 500/- रूपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा भीमखण्ड पटवार हल्का उमण्ड तहसील कपासन की खाता संख्या 79 में स्थित आराजी संख्या 518, 1244/511, 1245/512 कुल कित्ता 3 की उभय पक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो तो पत्थरगढी की जावें एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे तथा कमिश्नर फिस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें साथ हि यह सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हों। इस बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।



(अभिषेक गोयल)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन